



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

त्वरित डाक/ईमेल द्वारा

फा.संख्या:ए-14011/ 1/2020-डब्ल्यूक्यूएम-1 393

23/07/2021

सेवा में,

सदस्य सचिव
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कल्पतरु पाइंट, तीसरी और चौथी मंजिल,
विपक्ष पीवीआर सिनेमा, सायन सर्कल,
मुंबई-400 022.

M.P.C. BOARD, SION			
INWARD SECTION			
Y	M	D	FTS- 0143
21	08	02	

विषय: मूर्ति विसर्जन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।

महोदय,

यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिनांक 28.05.2020 के पत्र के संदर्भ में है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से मूर्ति विसर्जन के लिए 01.01.2021 से संशोधित दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अनुरोध किया था।

इसके अलावा, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2021 के ओए संख्या 38 (डब्ल्यूजेड) के मामले में पारित अपने दिनांक 05.07.2021 के आदेश द्वारा निष्कर्ष निकाला कि रासायनिक पेंट युक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) मूर्तियां जल की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हैं और अधिकरण के आदेशों के अनुसरण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अधीन जारी एनएमसीजी के दिनांक 16.09.2019 वैधानिक आदेश 'मूर्ति विसर्जन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों' की पुनरुक्ति करते हैं।

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि (i) कारीगरों में पीओपी के स्थान पर प्राकृतिक मिट्टी के उपयोग के लिए जागरूकता प्रसार किया जाए (ii) मूर्ति विसर्जन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों से संबंधित पहलुओं पर संबंधित नियामक प्राधिकरणों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति अथवा किसी विशेषज्ञ संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

साथ ही, यह भी अनुरोध है कि कृपया 'मूर्ति विसर्जन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों' का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और इसके लिए संबंधित प्राधिकारियों/ हितधारकों को निदेश दें।

भवदीय,

(ए.सुधाकर)

प्रभाग प्रमुख, डब्ल्यूक्यूएम-1 प्रभाग

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

संख्या (ए-14011/1/2020-डब्ल्यूक्यूएम-1) दिनांक 23/07/2021

23/07/2021